लिए विद्युतीकरण के जो मापदंड हैं, उनमें कुछ ढिलाई करेंगे जिससे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र इस ग्राम विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित हो सकें ।

SHRI P. RAMACHANDRAN: Sir, with regard to four schemes that I have already mentioned, all those schemes have already been sanctioned and there is no scheme pending. With regard to special concession to adivasis and harijans, already in the norms prescribed by the REC, there is a relaxation with regard to interest and also the quantum of assistance that is being given to all these areas, backward areas.

श्री राघवजी । क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश मे गांवों में बिजली पहुंचने का औसत प्रतिशत क्या है और देश का औसत प्रतिशत क्या है ? यदि मध्य प्रदेश के गावो में बिजली पहुंचने का औसत प्रतिशत कम है, तो वहां के गावों को बिजली जल्दी उपलब्ध हो सके, इसके लिए शासन क्या कर रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

MR. SPEAKER: That does not arise out of this question. It goes out of the question. If you have a information you can give. I have no objection if you give any information.

SHRI P. RAMACHANDRAN: I do not have information at this time.

MR. SPEAKER: He requires a notice.

Rise in price of paper

*791. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether paper prices are continuing to rise despite his warning to the mills; and

(b) if so, whether he proposes to take over all the mills output and distribute it at reasonable price?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Certain paper mills had announced price increases for some varieties of paper in January, 1978. It is reported that most of the other mills which had refrained from effecting similar price increases earlier have also decided to follow suit.

(b) At present, only white printing paper supplied at the concesional rate of Rs. 2750 per tonne is being distributed to the educational sector and the DGS&D, and there is no proposal to take over the entire output of the Paper Industry. Steps have however been taken to increase the production of common varieties of writing and printing papers through "The Paper (Regulation of Production) Order, 1978" and the question of further regulatory measures and the necessity of imports would be considered after watching the results.

SHRI G. S. REDDI: Will the hon. Minister tell us as to what steps are being taken to see that price rise does not take place? Those paper mills which did not raise the price earlier have now begun to raise the price. I want to know what steps are being contemplated to stop this kind of an increase.

SHRI GEORGE FERNANDES: There is no statutory control on paper prices. The only control, which also has been through an understanding with the paper mills that we have, is to make available white printing paper, and this also to the educational institutions and as of now to the DGS&D. This paper is made available at Rs. 2,750 per tonne. In the case of rest of the paper, the price invariably has been fluctuating over the years, declined at a certain point of time and has gone up recently. We have, in order to see that those sections, to whom paper at Rs. 2,750 per tonne is to be made available—primarily the educational sector—get it, taken steps to see that, under the new order that has been issued in March this year, adequate quantities of paper are produced and made

available to the educational institutions.

So far as the general price increase is concerned, we are discussing this question with the paper mill-owners, and I hope that it will be possible for us to see that the prices are brought down. We have also uggested that, if necessary, we shall import paper to see that the overall needs are met.

SHRI G. S. REDDI: What are those mills and what are the qualities of paper wherein the price increase has occurred?

SHRI GEORGE FERNANDES: As I have said, except white printing paper that is made available to the educational sector, all other paper is without any statutory control on prices; therefore, prices keep varying off and on.

श्री किशोर लाल : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि 2750 रुपये प्रति मी० टन पर जो पेपर अवेलेबल किया जाता है, क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जिस समय बच्चों के एग्जामिनेशन का सीजन होता है या दूसरा सीजन होता है जब कि बच्चों को एक्सारसाइज बुक्स खरीदनी पड़ती हैं तो उस वक्त मिल वाले गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बावजूद पेपर सप्लाई नहीं करते हैं और आर्टिफिशियल स्केअरसिटी क्रियेट कर देते हैं ? इससे बच्चों को ज्यादा दाम देकर ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं । क्या गवर्नमेंट ऐसी मिल्स के खिलाफ कोई एक्शन कंटेम्प्लेट करती है ? क्या गवर्नमेंट जैसे शूगर और सीमेंट के मामले में प्राइस फिक्स करती है, इस पेपर की प्राइस फिक्स करने के बारे में भी कोई अध्ययन करने की कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : अध्यक्ष जी, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी है । कागज का बटवारा, टेक्सट बुक्स और अन्य कामों के वास्ते शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है । जब भी किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि उन्हें कागज नहीं पहुंच रहा है तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप कर के राज्य सरकार को कागज पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है । यदि इस सम्बन्ध में आगे भी कोई शिकायत होगी तो हम कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक दाम के बारे में अध्ययन करने की बात है, आम तौर पर मिलों के साथ बातचीत होती रहती है और उनको कहा जाता है कि वे उचित दाम लगायें अनुचित दाम न लगायें ।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: In view of the importance of keeping the price of paper down, if we are to fulfil our educational schemes and guarantee that students get books and paper at reasonable prices, I would like to know whether the Minister has any plans for expanding the public sector in the paper producing industry, whereby he would be able to guarantee that prices would be kept at a lower level which would be commensurate with the needs of the country today.

SHRI GEORGE FERNANDES: As of now, hardly one per cent of the paper is produced in the Central public sector, and another five per cent is produced in the State sector. The projects that we just now have in hand, including the Nawgong, Cachar, and Nagaland projects, when completed in the next three years or so, will raise the public sector contribution to 19 per cent from the present 6 per cent, and we shall see that this sector is expanded.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will you increase it further?

SHRI GEORGE FERNANDES: Yes, we are moving in the direction of expanding it, so far as paper is concerned.

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : मैं जानना चाहती हूं कि बीमार पेपर फैक्ट्रीज के लिए भी आप कुछ नीति अपनाएंगे, उनका भी कुछ इंतजाम करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडिज : जैसी नीति अन्य बीमार कारखानों के लिए अपनाई जाती है वही इनके लिए भी अपनाई जाती है । इस समय नियम यह है कि तीस परसेंट कागज सस्ते दाम का 2750 रुपये टन का बनना चाहिये । लेकिन यह नियम बीमार कागज की मिलों पर लागू नहीं होता है । इतना कंसेशन उनको दिया गया है ।

Repeal of MISA

*792. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether MISA will be repealed during the current session of Parliament;

(b) whether Government have advised Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir and other States to repeal the MISA and Preventive Detention;

(c) if so, the reaction of the concerned State Governments; and

(d) the details of replies received by Government from the concerned States?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) सदन की आज की कार्रवाई की सूची में मीसा के निरसन के लिए एक विधेयक पेश करना शामिल है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : किन किन राज्य सरकारों ने मीसा अभी भी लागू किया हुआ है । आप तो विदड्रा कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारों में अभी भी मीसा बाकी है मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन से राज्य हैं ; काश्मीर के बारे में आपने कहा था इस सदन में कि हम कुछ सुझाव काश्मीर सरकार को देंगे । आपने क्या सुझाव दिए हैं और उनका क्या उत्तर आया है ? कोफेपोसा इकोनौमिक आफेंडर्स के बारे में जो है उसके बारे में आपका क्या विचार है ? उसको भी आप खत्म करेंगे या रखेंगे ?

श्री चरण सिंह : कोफैपोसा या कोफेमीसा है मैं ठीक नाम नहीं जानता । इस के लिए मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि यह इस सवाल के अन्दर शामिल नहीं है ।

जहां तक मीसा की बात है मीसा सारे हिन्दुस्तान से निरसन हो जाएगा । किसी भी प्रदेश में मीसा के कायम रहने का सवाल नहीं है । हमारा कमिटमेंट इसको रिपील करने का था । वह पूरा किया जा रहा है । कुल तीन स्टेट्स ऐसी हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जहां किसी प्रकार का नजरबन्दी कानून लागू है । शान्ति और व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है । वे जैसा उचित समझें करें । प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को चाहे वापिस ले लें या उसको संशोधित कर लें, यह काम उनका है । लेकिन वह मीसा से अलग चीज है । उत्तर प्रदेश में केवल समाज विरोधी तत्वों के लिए नजरबन्दी कानून है । मैं नहीं समझता हूं कि हाउस चाहता है कि इसको वापिस ले लिया जाए । उस में कभी कोई पोलिटिकल आदमी गिरफ्तार नहीं किया जा सकत । अब राजस्थान, आंध्र प्रदेश रह जाते हैं । देश की स्थिति आप देख रहे हैं। यह जि ी उनकी है वे करें या न करें । र इसको छोड़ दिया है ।